

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 624/2023
अनवान : -

1. पूनम पुत्री कृष्ण (किशनलाल) जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर हाल आबाद राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
2. मुकेश पुत्र कृष्ण (किशनलाल) जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर हाल आबाद राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चुरु।

- वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. जगराम पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. दानाराम पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
4. गुडडी पत्नी ठाकरूराम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
5. धापा पत्नी मोहनराम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
6. निमा पुत्री हेतराम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी निमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
7. भूरी पत्नी मालाराम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
8. शान्ति पत्नी रामुराम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी फोगा तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
9. सरस्वती पत्नी ओकारमल पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 07/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 की कुल 9.1590 हैक्ट भूमि वादीगण के दादा रामेश्वर के नाम दर्ज थी।

वादी के दादा रामेश्वर के देहांत हो चुका है। वादी के दादा ने अपने जीवन काल में उक्त वाद भूमि का मौखिक घरू बंटवारा कर दिया था तथा उन्होंने अपने तीनों पुत्रों व 6 पुत्रीयों का बंटवारा किया की रोही मौजा सुरजनसर के ख0न0 199/2 की 12 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 233/2 की 23 बीघा 9 बिस्वा कुल 2 खसरो की कुल 36 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से ख0न0 199/2 की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि मेरे पुत्र कृष्ण के पुत्र यानि मेरे पौत्रे मुकेश के पक्ष में दिनांक 29.06.2012 को रोबरू गवाहन वादीगण स0 2 के पक्ष में वसीयत कि थी। वादीगण की माता स्वर्गीय राजू देवी का देहान्त दिनांक 02.10.2015 को हो गया ~~उसके~~ वादीगण ही विधिक वारिसान है माता की मृत्यु के लगभग 3 वर्ष बाद पिता ने कृष्णा ~~को~~ दुसरी शादी कर ली और कृष्णा देवी की यह तीसरी शादी थी और इसके द्वारा की गई दो पूर्व शादीयो से दो


ॐ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्रों की उत्पत्ति हुई जो कृष्णा देवी मेरे पिता से शादी होने के बाद उन्हें साथ रखने लगी कृष्णा देवी के उक्त वारिसान गैलड़ है जिनका वादीगण की पैतृक सम्पत्ति में कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः इन्हे वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण लम्बे समय से अपनी वसीयत में प्राप्त भूमि व अपने पिता के हक में से प्राप्त भूमि जो की ख0न0 233/2 की 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि के 1/9 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा बहिब यानि 1 बीघा 15 बिस्वा को शान्ति पूर्वक काशत करते आ रहे हैं लेकिन वर्तमान में प्रतिवादीगण के मन में बदनियत आ गयी है और वादीगण के कब्जा काशत मे मदाखलत बैजा से बाज नहीं आ रहे हैं और अकसर सीवं डोल को लेकर तनाव रहता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने कब्जा काशत में समतल व अच्छे किस्म की भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसे अन्यत्र/बैय करने पर उतारू है। अतः रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 के ख0न0 199/2 की 3.2266 हैक्ट भूमि में वादी स0 2 के नाम दर्ज की जावे व इस खसरा से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावक व रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 के ख0न0 233/2 की 59330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को बहिब के खातेतार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 के ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट, ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट कुल 9.1590 हैक्ट भूमि वादी स0 2 के नाम व ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि व ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि रहेगी व शेष ख0न0 199/2 की 2.214 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम बहिब तथा शेष ख0न0 233/2 की 4.921 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो बहिब 3.909 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा वादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। उक्त राजीनामा मुताबिक वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।


उपस्थित अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर के नाम दर्ज है जो की वादीगण का दादा है रामेश्वर को देहान्त हो चुका है एवं रामेश्वर के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 के ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट, ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट कुल 9.1590 हैक्ट भूमि वादी स0 2 के नाम व ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि व ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि रहेगी व शेष ख0न0 199/2 की 2.214 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम बहिब तथा शेष ख0न0 233/2 की 4.921 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो बहिब 3.909 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा वादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनमा/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 की कुल 9.1590 हैक्ट भूमि रामेश्वर के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 243/223 के ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट, ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट कुल 9.1590 हैक्ट भूमि वादी स0 2 के नाम व ख0न0 199/2 की 3.2260 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि व ख0न0 233/2 की 5.9330 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि रहेगी व शेष ख0न0 199/2 की 2.214 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम बहिब तथा शेष ख0न0 233/2 की 4.921 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो बहिब 3.909 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा वादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 के

उपज्जण अधिकारी
नोहर

पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 243/223 के ख०न० 199/2 की 3.2260 हैक्ट, ख०न० 233/2 की 5.9330 हैक्ट कुल 9.1590 हैक्ट भूमि का वादी स० 2 को व ख०न० 199/2 की 3.2260 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि व ख०न० 233/2 की 5.9330 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि रहेगी व शेष ख०न० 199/2 की 2.214 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब तथा शेष ख०न० 233/2 की 4.921 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो को बहिब 3.909 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

RL
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 624/2023

अनवान : -

1. पूनम पुत्री कृष्ण (किशनलाल) जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर हाल आबाद राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
2. मुकेश पुत्र कृष्ण (किशनलाल) जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर हाल आबाद राजासर बीकान तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

- वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. जगराम पुत्र स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. दानाराम पुत्र स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
4. गुडडी पत्नी ठाकरूराम पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
5. धापा पत्नी मोहनराम पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
6. निमा पुत्री हेतराम पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी निमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
7. भूरी पत्नी मालाराम पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
8. शान्ति पत्नी रामुराम पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी फोगा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
9. सरस्वती पत्नी ओकारमल पुत्री स्व० रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बोधेरा हाल जेतसीसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 624 सन 2023 निर्णय दिनांक 07/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री संजय कुमार जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 243/223 के ख०न० 199/2 की 3.2260 हैक्ट, ख०न० 233/2 की 5.9330 हैक्ट कुल 9.1590 हैक्ट भूमि का वादी स० 2 को व ख०न० 199/2 की 3.2260 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि व ख०न० 233/2 की 5.9330 हैक्ट भूमि में से 1.0120 हैक्ट भूमि रहेगी व शेष ख०न० 199/2 की 2.214 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब तथा शेष ख०न० 233/2 की 4.921 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो को बहिब 3.909 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर